राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
12/2024	05.03.2024	31.10.2025

बउनवान

1. शिवराम पुत्र रामकुंवार मीना, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. रामनिवास पुत्र रामकुंवार मीना, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. मुरारीलाल पुत्र रामकुंवार मीना, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।

..सायलान/प्रार्थीगण

बनाम

1. काशीराम पुत्र रामखिलाडी, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. दीपचन्द पुत्र रामखिलाडी, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. मोहनलाल पुत्र रामखिलाडी, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. विश्राम पुत्र रामखिलाडी, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. शिवलाल पुत्र रामखिलाडी, निवासी हल्दैना, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
7. उपपंजीयक मण्डावर।

..गैरसायलान/अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री ओमप्रकाश बेनीवाल, श्री गोपाल सिंह।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 – श्री प्रदीप चौधरी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 528 रकबा 0.18 हैक्टे., 530 रकबा 0.17 हैक्टे., 570 रकबा 0.40 हैक्टे., 578 रकबा 0.44 हैक्टे., 579 रकबा 0.44 हैक्टे., 738 रकबा 0.06 हैक्टे., 739 रकबा 2.35 हैक्टे., 745 रकबा 0.45 हैक्टे., 790 रकबा 1.67 हैक्टे., 859 रकबा 0.36 हैक्टे., 860 रकबा 0.06 हैक्टे., 861 रकबा 1.21 हैक्टे., 880 रकबा 0.20 हैक्टे., 882 रकबा 0.58 हैक्टे., 883 रकबा 0.35 हैक्टे., 884 रकबा 2.12 हैक्टे., कुल किता 16 कुल रकबा 11.04 हैक्टे. ग्राम हल्दैना, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात है जिसमें आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर रखा है तथा उसी अनुसार खातेदारान काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विवादित आराजीयात में सायल सं. 1, 2 व 3 का हिस्सा क्रमशः 1/6, 1/6, 1/6 तथा गैरसायल सं. 1, 2, 3, 4 व 5 का हिस्सा क्रमशः 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 राजस्व रिकॉर्ड में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

दर्ज है। सायलान एवं गैरसायलान सभी अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। गैरसायलान सभी मिलकर सायलान को उनके हिस्से की आराजी में आये दिन व्यवधान पैदा करते रहते है तथा उक्त आराजी का बिना विधिवत बंटवारा कराये ही दीगर व्यक्तियों को अपने हिस्से का बेचान करना चाहते हैं तथा कुछ गैरसायलान अपने हिस्सों से भी अधिक भूमि पर पुख्ता निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करना चाहते है। जब सायलान उनसे कुछ भी कहते है तो वह नहीं मानते है तथा निर्माण, रहन बय करने की धमकी देते हैं। दिनांक 27.02.2024 को सायलान अपने हिस्से की आराजी पर थे कि वहां पर गैरसायलान के प्रतिनिधि एवं कुछ गैरसायल आये और सायलान से कहने लगे कि तुमने जो जमीन पर काश्त कर रखी है, वह भूमि तुम्हारे हिस्से से अधिक है तथा हमारे पास कम है। तुमने ज्यादा भूमि पर काश्त कर रखी है। इस कारण उक्त भूमि का पुनः विभाजन करेगें। सायलान ने उनसे कहा कि अपन तहसील कार्यालय महवा में चलते है और उक्त आराजी का अपने हिस्से व कब्जे के आधार पर विधिवत विभाजन करवा लेते है तथा विभाजन कराये जाने के बाद उक्त आराजी की पैमाईश करवा लेते है जिससे अपन सभी का बहम निकल जायेगा लेकिन वो इसके लिये तैयार नहीं है और वो जबरन अपने हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि गैरसायलान अपनी इस योजना में सफल हो गये तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना लाजिम आया है। विनाय दावा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2024 को गैरसायलान द्वारा तकारमा कराने से इन्कार करने के कारण तथा आराजी को बिना विधिवत विभाजन किये ही उसमें निर्माण कार्य करने, दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुन्तकिल करने की धमकी दिये जाने से बमुकाम हल्देना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में पैदा हुआ है। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्दर मियाद पेश है। सायलान वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार है, इसलिये प्रथम दृष्ट्या मामला सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे अपने इरादों में सफल हो जायेगें जिससे सायलान को अपूरणीय क्षति होगी जबकि गैरसायलान को पाबंद करने पर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात में सायलान के कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। बिना विधिवत बंटवारा के आराजी को रहन, विक्रय या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे। वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार का कच्चा अथवा पक्का निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करे। आराजी को नाकाबिल काश्त नहीं बनाये। मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम हल्देना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

खसरा सं. 528, 530 ,570, 578, 579, 738, 739, 745, 790, 859, 860, 861, 880, 882, 883, 884 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 6 व 7 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 की ओर से प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया कि सायलान व गैरसायलान ने आपसी सहमति से काफी समय पूर्व बाहमी तौर पर बंटवारा कर रखा है तथा उसी के अनुसार खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। गैरसायलान ना तो पुख्ता निर्माण कर रहा है और ना ही कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर रहा है। सायलान द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि गैरसायलान विवादित आराजीयात में किसी तरह का पुख्ता निर्माण कर रहे है। प्रार्थना पत्र गैरसायलान को हैरान परेशान करने के उदेश्य से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। मुझ गैरसायलान व सायल के मध्य उक्त तारीख को किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। उसने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र बिना वाद कारण के तथा मनमाने रूप से तारीख अंकित करते हुये पेश किया है जो कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज होने योग्य है। गैरसायलान मौके पर कब्जानुसार विधिवत रूप से विभाजन कराने को तैयार है। वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिसमें सायलान अपने हिस्से पर काश्त करता चला आ रहा है। सायलान का कोई भी प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नहीं है और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही सायलान के पक्ष में साबित है। इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। सायलान को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने का अंदेशा नहीं है बल्कि गैरसायलान को यदि किसी भी प्रकार से पाबंद किया गया तो मुझ गैरसायलान को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं होगा। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाये जाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र सायलान द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है क्योंकि स्वयं सायलान ने ही अपने उक्त प्रार्थना पत्र में इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त आराजी को हम सायलान एवं गैरसायलान द्वारा अपने अपने हिस्सानुसार बाहमी रूप से विभाजित किया हुआ है तथा उसी विभाजन के अनुसार ही हम काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। फिर उसने गलत तथ्यों के आधार पर मात्र गैरसायलान को हैरान परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेशा कया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि सायलान का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

5. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तद्नुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

6. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

7. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार, वर्तमान में विवादित आराजीयात के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड सहखातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान यदि अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजीयात में जबरन अपने हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य किया जाता है तो प्रार्थीगण के अधिकार पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इस कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को, विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग में बाधा होगी जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

आदेश

8. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम हल्दैना, पटवार हल्का हल्दैना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 528, 530 ,570, 578, 579, 738, 739, 745, 790, 859, 860, 861, 880, 882, 883, 884 कुल किता 16 कुल रकबा 11.04 हैक्टे. के सम्बन्ध में, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 05.03.2024 को आंशिक रूप से सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 उक्त विवादित आराजीयात खसरा सं. 528, 530 ,570, 578, 579, 738, 739, 745, 790, 859, 860, 861, 880, 882, 883, 884 के मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

9. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज